भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2721
दिनांक 05 अगस्त, 2025 /14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

दमन और दीव में स्थानांतरण संबंधी नीति

2721. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ शासित प्रदेश में अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा होने के बावजूद उक्त संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दमन और दीव में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो अपना स्थानांतरण और कार्यकाल पूरा होने के बावजूद अभी भी वहां पदों पर बने हुए हैं ; और

(घ) ऐसे अधिकारियों को उनके कार्य प्रभार से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ) : एजीएमयूटी कैडर के आईएएस/आईपीएस अधिकारिओं तथा दानिक्स/दानिप्स अधिकारिओं का दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ शासित प्रदेश में स्थानांतरण गृह मंत्रालय द्वारा स्थानातंरण के सम्बन्ध में जारी दिनांक 09.11.2016 के पत्र सं 14012/01/2016.UTS-I और दिनांक 29.11.2016 के पत्र सं. 14020/05/2008-UTS.II (Vol.II) के दिशानिर्देशों के अधीन शासित होता है । इन्हीं दिशानिर्देशों के अधीन प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा लोकहित को ध्यान में रखते हुए अधिकारिओं का स्थानांतरण किया जाता है ।

*****